राजस्थान–सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.3 / (ए–78 / 2011) / अलेसे –II / दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री आलोक कौशिक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को आगामी सत्र 2014–15 के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एम. कॉम. अन्तिम वर्ष परीक्षा की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी जाती है :–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान हो तो स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. कार्मिक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो भी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।
5. कार्मिक को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन काल में किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन का अधिकार नहीं होगा एवं इनका स्थानान्तरण किसी भी अन्यत्र स्थान पर किया जा सकेगा।
7. अध्ययन से दैनिक राजकीय कार्य में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिये अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार / विभाग की किसी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन स्वीकृति बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.3 / (ए–78 / 2011) / अलेसे –II / 10998–11000 दिनांक :– 19-1-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री आलोक कौशिक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, जैसलमेर।
3. ए.सी.पी. कम्प्यूटर शाखा।

19/1/15
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)